उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–637–कार्य–चौदह/पाकालि/2022/3–के/2000 टी0सी0–1/2012 दिनांकः30 अप्रैल, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय–ज्ञाप सं0–370–कार्य–चौदह/पाकालि/2022/3–के/2000, दिनांक 07.02.2022 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय के नियंत्रणाधीन इकाईयों के अन्तर्गत क्रय/कार्य के प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशन की अनुमति आदि के सम्बन्ध में क्रय/कार्य की समिति एवं स्तर के प्राधिकार तथा परिसीमायें निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में एतदद्वारा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1) **भण्डार क्रय/कार्य समिति के अधिकार –**

(A) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 10 करोड़ से अधिक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2013/कार्य/चौदह–पाकालि/2019–3–के/2000 दिनांक 13.01.2020 द्वारा गठित केन्द्रीय भण्डार क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

(B) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–604/कार्य/चौदह–पाकालि/2016–3–के/2000 दिनांक 06.06.2016 द्वारा गठित प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(C) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 10 लाख से 1 करोड़ तक के समस्त प्रकरण निम्नानुसार गठित निदेशक, क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(i) निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 – अध्यक्ष
(ii) निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 – सदस्य
(iii) अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित एक अन्य निदेशक – सदस्य
(iv) मुख्य अभियन्ता (जिससे प्रकरण सम्बन्धित हो) – संयोजक

(D) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 10 लाख तक के समस्त प्रकरण कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–295/कार्य/चौदह–पाकालि/2003–3–के/2000 दिनांक 27.02.2003 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(i) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 2 लाख से 10 लाख तक के समस्त प्रकरण मुख्य अभियन्ता, क्रय/कार्य समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें:–

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता – अध्यक्ष
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित एक मुख्य अभियन्ता – सदस्य
- निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठतम् उप मुख्य लेखाधिकारी – सदस्य

(ii) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 2 लाख तक के समस्त प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता, क्रय/कार्य समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें:–

- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता – अध्यक्ष
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि द्वारा नामित एक अधीक्षण अभियन्ता – सदस्य
- निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा नामित वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी – सदस्य

2) **सामग्री क्रय/कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तर–**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय के नियंत्रणाधीन इकाइयों हेतु प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तर निम्नवत् होगा:–

(i) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 20 लाख से अधिक के समस्त प्रकरण – अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0
(ii) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 05 लाख से 20 लाख तक के समस्त प्रकरण – प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0
(iii) सामग्री क्रय/कार्य के रू0 05 लाख तक के समस्त प्रकरण – संयुक्त रूप से सम्बन्धित निदेशक एवं निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0

3) वित्तीय अधिकारों के प्रयोग से पूर्व Financial Concurrence प्राप्त करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पालित की जायेगी तथा क्रय/कार्य जो कराये जाने हैं उनका शत् प्रतिशत वित्त पोषण मद के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि की उपलब्धता इंगित/सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

3.1) उपरोक्तानुसार Financial Concurrence प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण पर अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 का अनुमोदन वांछित होगा।

3.2) अपरिहार्य/आकस्मिक प्रकृति के ऐसे क्रय/कार्य, जिनके लिये बजट में प्राविधान उपलब्ध नहीं हैं, को अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 के अनुमोदनोपरान्त कराया जा सकेगा।

4) क्रय/कार्य हेतु उपरोक्तानुसार प्राधिकार एवं परिसीमाओं के निर्धारण के पश्चात निष्पादित क्रय/कार्य के सापेक्ष सृजित देयता का निर्धारित प्रक्रिया से नियमानुसार भुगतान केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (Central Payment Cell) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

5) क्रय/कार्य से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण/विषय जो उपरोक्त प्रावधानों से आवरित नहीं है, पर अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अधीक्षत

संख्या–637(I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण/वाणिज्य/वित्त/का0 प्ला0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

30/04/2022

(विनय भूषण राय)

अपर सचिव (प्रथम)